

नरिमाण श्रमकों के लाभों की जाँच के लिये लेखा परीक्षा

चर्चा में क्यों?

नरिमाण श्रमिक कल्याण बोर्ड श्रमकों को पंजीकृत कर रहे हैं या नहीं, उन्हें लाभ दे रहे हैं या नहीं इसकी जाँच के लिये और अवैध रूप से पंजीकृत गैर-श्रमकों को बाहर निकालने के लिये सामाजिक लेखा परीक्षा पायलट परियोजनाएँ शीघ्र ही राजस्थान और दिल्ली में शुरू होने वाली हैं।

प्रमुख बटु

- हाल ही में श्रम मंत्रालय द्वारा भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार भवन और अन्य नरिमाण श्रमिक (रोज़गार और सेवा की शर्तों का वनियमन) अधिनियम, 1996 (BOCW) के कार्यान्वयन पर सामाजिक लेखा परीक्षा के लिये मसौदा रूपरेखा जारी की गई। इसमें लेखा परीक्षा का प्रारूप वसितार से रखा गया है।
- नरिमाण उद्योग भारत का दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है, एक अनुमान के मुताबिक इस क्षेत्र में पाँच से सात करोड़ श्रमिक कार्यरत हैं, जिनमें से आधे से कम पंजीकृत हैं।
- BOCW सामाजिक लेखा परीक्षा का उद्देश्य हर दो साल में सभी ज़िलों को कवर करना है, इस प्रक्रिया का नेतृत्व कर रहे सविलि सोसाइटी संगठनों के अनुसार, पायलट परियोजनाएँ दिल्ली के भवना वार्ड और उदयपुर ज़िले के ब्लॉक (अभी तक तय किया जाना बाकी) में कार्यान्वयन की जाएंगी।

कार्य-स्थलों का मुआयना

- नरिमाण श्रम पर केंद्रीय वधान के लिये राष्ट्रीय अभियान समिति (NCC-CL) के अधिकारियों द्वारा यह जाँचने हेतु कितने श्रमिक कल्याण बोर्डों के साथ पंजीकृत हैं, सभी नरिमाण स्थलों सहित उन स्थानों का भी मुआयना किया जाएगा जहाँ श्रमिक रहते हैं।
- इसके अतिरिक्त लेखा परीक्षा दल द्वारा इन ममलों की भी जाँच की जाएगी कि "क्या श्रमकों के बच्चों को छात्रवृत्तियाँ मिल रही हैं जिनके वे हकदार हैं? जिन श्रमकों ने वभिन्न लाभों (पेंशन, मातृत्व आदि) के लिये आवेदन किया है उन्हें कतिनी लंबी अवधितक प्रतीक्षा करनी पड़ती है? यदि श्रमकों को बच्चों के केवल दो या तीन साल की उम्र होने तक मातृत्व लाभ मिलता है, तो इसका क्या उपयोग होता है?"
- सामाजिक लेखा परीक्षा दल उन श्रमकों की भी खोज करेगा जिन्होंने पंजीकरण नहीं कराया है और उन कारणों को भी खोजने का प्रयास करेगा जो उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय का नरिदेश

- NCC-CL की याचिका पर 19 मार्च के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह वचिार व्यक्त किया कि केंद्र और राज्यों ने बीओसीडब्ल्यू को लागू करने के पछिले नरिदेशों का "दंडमुक्ता के साथ उल्लंघन" किया था और न्यायालय ने यह नरिदेश दिया कि इसके लिये सरकार को ज़मिमेदार ठहराए जाने हेतु सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजन की जाएगी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि पंजीकरण प्रयासों में उत्तरदायित्व के बनिा BOCW का कोई उपयोग नहीं होगा।
- फैसले में न्यायालय ने कहा कि, "न्यायालय में दर्शाए गए आँकड़ों के अनुसार देश में 4.5 करोड़ से अधिक भवन और अन्य नरिमाण श्रमिक हैं। पहले 2.15 करोड़ श्रमिक पंजीकृत किये गए थे और अब तक पंजीकृत श्रमकों की संख्या 2.8 करोड़ हो चुकी है। इन आँकड़ों की प्रामाणिकता पर पूरी तरह वशिवास नहीं किया जा सकता। किसी भी घटना में भवन और अन्य नरिमाण श्रमकों का पंजीकरण आवश्यक संख्या से काफी नीचे है और यह भी एक अनुमान मात्र है।"